"प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01क

[नियम 89(1) और 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मास > से <वर्ष/मास >						
6.	दावा किया गया प्रतिदाय की (रु0) :	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :					
		(ख)	माल/सेवाओँ के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बगैर (संचित आईटीसी)					
		(घ)	विपर्यस्त कर संरचना के प्रति देय संचित आईटीसी [धारा 54(3)] के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन					

		(ङ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय सहित)
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय बगैर)
		(छ)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता
		(ज)	आदेश के मद्दे

क्रम सं0	आदेश का प्रकार	आदेश सं0	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय निर्देश सं0 यदि कोई हो
(i)	निर्धारण				
(ii)	अंनतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
(iii)	अपील				
(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				

		(झ)	अंतराराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे पश्चात्वर्ती अंतरराज्य प्रदाय निर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)							
		(ञ)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो।							
		(ट)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							

[*घोषणा धारा 54(3) का दूसरा परंतुक*]

मैं घोषणा करता हूं/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीँ किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii))]

मैं यह घोषणा करता हूं /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी संम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /**प्रदायकर्ता के लिए)**

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैँ घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकोँ के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को रकम से अधिक नहीं है /मैँ यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायोँ के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीँ किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैँ घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकोँ के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख मेंदिया गया है मैँ यह भी घोषणा करता हूँ करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायोँ के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायोँ पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीँ करेंगे।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैँ घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(l)]

मैं…………………(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान………है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज या …….से ………… तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0…….. रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीँ किया गया है।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीँ किया गया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रू में रकम)

माल और सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रदाय रकम [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं..	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /**संघ राज्य क्षेत्र कर**	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /**बी 2 सी)**	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी /एफ आई आर सी		नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	**संदर्भ सं.**	**तारीख**	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	Iबीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष /विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	करादेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [**नियम 89(2)(ञ)**]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतराराज्यिक और विपर्ययेन)

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो:

आदेश सं0: **आदेश तारीख:**

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	राज्यांतरित/अन्तरराज्यिक पूर्व के रूप में संव्यवहार अच्छादित के ब्यौरे									संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण:7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रकम रु में)

कर अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7